

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(50)नविवि/03/2012

जयपुर, दिनांक: 31.07.2012

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90-क की उप-धारा (4) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 9 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17.06.1999 के पश्चात के प्रकरणों बाबत राज्य सरकार एतद्वारा नगरीय क्षेत्रों (जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की लालकोठी योजना, जवाहर लाल नेहरू मार्ग के दोनों ओर की 200 फिट चौड़ी पट्टी के भीतर एवं पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र को छोड़कर) में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए अनुज्ञा के उपरान्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भूमि के आवंटन के मामलों में प्रीमियम की दरें निम्नानुसार निर्धारित करती है :-

तालिका 1

जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाडा व भिवाडी के नगरीय क्षेत्रों में प्रीमियम की दरें (रुपये प्रति वर्गगज)

क्र. सं.	प्रयोजन	कृषि से गैर कृषि प्रयोजनार्थ प्रस्तावित प्रीमियम दर प्रति वर्गगज में (सम्पूर्ण आवेदित भूमि का)
1	2	3
1	आवासीय (क) 80 फीट से कम चौड़ी सडक पर (i) 200 वर्गगज तक	100 / -
	(ii) 200 वर्गगज से अधिक	150 / -
	(ख) 80 फीट या इससे अधिक किन्तु 160 फीट से कम चौड़ी सडक पर (i) 200 वर्गगज तक	150 / -
	(ii) 200 वर्गगज से अधिक	225 / -
	(ग) 160 एवं इससे अधिक चौड़ाई की सडक पर (i) 200 वर्गगज तक	200 / -
	(ii) 200 वर्गगज से अधिक	300 / -

	(घ) 80 फीट या इससे अधिक चौड़ी सडक पर स्थित कॉर्नर भूखण्ड	उक्त खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, की देय राशि का डेढ गुणा राशि
2	वाणिज्यिक (क) 80 फीट से कम चौड़ी सडक पर (i) 200 वर्गगज तक	400 / --
	(ii) 200 वर्गगज से अधिक	600 / --
	(ख) 80 फीट या इससे अधिक किन्तु 160 फीट से कम चौड़ी सडक पर (i) 200 वर्गगज तक	600 / --
	(ii) 200 वर्गगज से अधिक	900 / --
	(ग) 160 एवं इससे अधिक चौड़ाई की सडक पर (i) 200 वर्गगज तक	800 / --
	(ii) 200 वर्गगज से अधिक	1200 / --
	(घ) 80 फीट या इससे अधिक चौड़ी सडक पर स्थित कॉर्नर भूखण्ड	उक्त खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, की देय राशि का डेढ गुणा राशि
3	धार्मिक / आध्यात्मिक संस्थान	प्रथम 10000 वर्गगज तक न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत एवं 10000 वर्गगज से अधिक पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 10 प्रतिशत
4	धार्मिक / आध्यात्मिक के अलावा अन्य संस्थानिक	प्रथम 8 एकड तक न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर एवं 8 एकड से अधिक पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत
5	फार्म हाउस	300 / -- प्रतिवर्गगज निर्मित क्षेत्रफल पर
6	औद्योगिक (i) 5000 वर्गगज तक	न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर के समान
	(ii) 5000 वर्गगज से अधिक	न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर की 50 प्रतिशत दर

7	पर्यटन इकाई (i) होटल/रिसोर्ट / मोटल	5 एकड़ तक न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर के समान एवं इससे अधिक क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय नियमन दर का 50 प्रतिशत
	(ii) एम्यूजमेन्ट पार्क आदि	5 एकड़ तक न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर के समान एवं इससे अधिक क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय नियमन दर का 50 प्रतिशत
8	जनसुविधाएँ—अस्पताल, डिस्पेन्सरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि	2 एकड़ तक न्यूनतम आवासीय दर से प्रीमियम तथा 2 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल पर न्यूनतम आवासीय दर की 25 प्रतिशत दर से प्रीमियम
9	इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एवं वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स—उर्जा, दूरसंचार, ट्रान्सपोर्ट, कन्टेनर, डीपो आदि	5 एकड़ तक न्यूनतम आवासीय दर से प्रीमियम तथा 5 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल पर न्यूनतम आवासीय दर की 25 प्रतिशत दर से प्रीमियम

### तालिका 2

जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाडा व भिवाडी को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्रों में प्रीमियम की दरें (रुपये प्रति वर्गगज)

क्र. सं.	प्रयोजन	कृषि से गैर कृषि प्रयोजनार्थ प्रस्तावित प्रीमियम दर प्रति वर्गगज में (सम्पूर्ण आवेदित भूमि का)
1	2	3
1	आवासीय (क) 80 फीट से कम चौड़ी सड़क पर (i) 200 वर्गगज तक	60/-
	(ii) 200 वर्गगज से अधिक	90/-
	(ख) 80 फीट या इससे अधिक किन्तु 160 फीट से कम चौड़ी सड़क पर (i) 200 वर्गगज तक	90/-
	(ii) 200 वर्गगज से अधिक	135/-
	(ग) 160 एवं इससे अधिक चौड़ाई की सड़क पर (i) 200 वर्गगज तक	120/-
	(ii) 200 वर्गगज से अधिक	180/-

	(घ) 80 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित कॉर्नर भूखण्ड	उक्त खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, की देय राशि का डेढ गुणा राशि
2	वाणिज्यिक (क) 80 फीट से कम चौड़ी सड़क पर (i) 200 वर्गगज तक	240 / -
	(ii) 200 वर्गगज से अधिक	360 / -
	(ख) 80 फीट या इससे अधिक किन्तु 160 फीट से कम चौड़ी सड़क पर (i) 200 वर्गगज तक	360 / -
	(ii) 200 वर्गगज से अधिक	540 / -
	(ग) 160 एवं इससे अधिक चौड़ाई की सड़क पर (i) 200 वर्गगज तक	480 / -
	(ii) 200 वर्गगज से अधिक	720 / -
	(घ) 80 फीट या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित कॉर्नर भूखण्ड	उक्त खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, की देय राशि का डेढ गुणा राशि
3	धार्मिक/आध्यात्मिक संस्थान	प्रथम 10000 वर्गगज तक न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 25 प्रतिशत एवं 10000 वर्गगज से अधिक पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 10 प्रतिशत
4	धार्मिक/आध्यात्मिक के अलावा अन्य संस्थानिक	प्रथम 8 एकड तक न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर एवं 8 एकड से अधिक पर न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत
5	फार्म हाउस	300 / - प्रतिवर्गगज निर्मित क्षेत्रफल पर
6	औद्योगिक (i) 5000 वर्गगज तक	न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर के समान
	(ii) 5000 वर्गगज से अधिक	न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर की 50 प्रतिशत दर
7	पर्यटन इकाई (i) होटल/रिसोर्ट / मोटल	5 एकड तक न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर के समान एवं इससे अधिक क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय नियमन दर का 50 प्रतिशत
	(ii) एम्प्लूमेन्ट पार्क आदि	5 एकड तक न्यूनतम आवासीय प्रीमियम दर के समान एवं इससे अधिक क्षेत्र पर न्यूनतम आवासीय नियमन दर का 50 प्रतिशत


8	जनसुविधाएँ—अस्पताल, डिस्पेन्सरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि	2 एकड तक न्यूनतम आवासीय दर से प्रीमियम तथा 2 एकड से अधिक के क्षेत्रफल पर न्यूनतम आवासीय दर की 25 प्रतिशत दर से प्रीमियम
9	इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एवं वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स—उर्जा, दूरसंचार, ट्रान्सपोर्ट, कन्टेनर, डीपो आदि	5 एकड तक न्यूनतम आवासीय दर से प्रीमियम तथा 5 एकड से अधिक के क्षेत्रफल पर न्यूनतम आवासीय दर की 25 प्रतिशत दर से प्रीमियम

परन्तु उक्त तालिका 1 व 2 में वर्णित दरें दिनांक 31.03.2014 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात प्रति वर्ष प्रत्येक 1 अप्रैल को गत वर्ष की दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये उस वर्ष के लिए प्रचलित दरें मानी जायेगी।

**स्पष्टीकरण:-**

- 1 उपरोक्त तालिकाओं में वर्णित "धार्मिक संस्थान" से तात्पर्य मन्दिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा व अन्य पूजा गृह से है। "आध्यात्मिक संस्थान" से तात्पर्य विधिवत पंजीकृत किसी संस्था के सत्संग भवन से है।
- 2 उपरोक्त तालिकाओं में वर्णित "अन्य संस्थानिक" से तात्पर्य उपरोक्त वर्णित नियमों के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (xii) में परिभाषित "संस्थागत प्रयोजन" से है, लेकिन इसमें उक्त स्पष्टीकरण संख्या 1 में वर्णित "धार्मिक संस्थान" और "आध्यात्मिक संस्थान" शामिल नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(गुरदयाल सिंह संधु)  
प्रमुख शासन सचिव


राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(50)नविवि/03/2012

जयपुर, दिनांक: 31.07.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
4. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
5. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. शासन उप सचिव- प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अन्य अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना की प्रति समस्त नगरनिगमों/ नगरपरिषदों/नगरपालिका मण्डलों को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन अविलम्ब राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में करावे तथा इसकी 200 प्रतियां इस विभाग को प्रेषित करावे।
12. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को उपरोक्तानुसार राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
13. सचिव, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
14. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
15. रक्षित पत्रावली।

  
(आर.के. पारीक)  
उप शासन सचिव-द्वितीय